रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 2007/ज्येष्ठ 7, 1929
No. 634] NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 2007/JYAISTHA 7, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2007

का.आ. 835 (अ).—असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) नामक संगठन को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के संबंध में न्याय-निर्णयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल की अध्यक्षता में गठित अधिकरण को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अधीन भेजे गए संदर्भ के संबंध में पारित उनके आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

दिल्ली उच्च न्यायालय भवन, नई दिल्ली के पीठासीन अधिकारी

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल के समक्ष

संदर्भ :

यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)-विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत विधिविरुद्ध घोषित एक संगठन।

अधिसूचना सं. का.आ. 2034(अ) दिनांक 27-11-2006

उपस्थित : श्री पी.पी. मल्होत्रा, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल के साथ श्री शैलेन्द्र शर्मा एवं सुश्री मोनिका गर्ग, भारत संघ के अधिवक्तागण।

असम राज्य की ओर से सुश्री कृष्ण शर्मा के साथ श्री रिकु शर्मा एवं सुश्री मीनाक्षी शर्मा अधिवक्तागण ।

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल

आदेश

दिनांक 22 मई, 2007

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने दिनांक 27-11-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 2034(अ), के द्वारा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट असम (जिसे इसमें इसके बाद 'उल्फा' कहा गया है) तथा इसके विभिन्न गुटों, विंगों तथा प्रमुख संगठनों को 27 नवम्बर, 2006 से 26 नवम्बर, 2008 तक दो और वर्ष की अवधि के लिए विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था। चूंकि केन्द्र सरकार का यह दृढ़

मत था कि उल्फा तथा इसके गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों पर लगे प्रतिबंध को दो और वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जाना आवश्यक है, इसलिए उसने निदेश दिया कि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. उक्त अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि उल्फा तथा इसके विभिन्न विंगों का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से असम को भारत से स्वतंत्र कराना तथा भारत-बर्मा क्षेत्र के इसी प्रकार के संगठनों के साथ मिलकर भारत-बर्मा क्षेत्र की आजादी के लिए संघर्ष करना है जिससे असम को भारत संघ से अलग किया जा सके।

3. उपर्युक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप, यह न्याय निर्णय करने के लिए, कि क्या उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करते हुए इस पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, दिनांक 19-12-2006 की राजपत्र अधिसूचना सं. का.आ. 2119(अ) के द्वारा गठित किए गए इस अधिकरण को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत पत्र लिखा गया।

4. 3 जनवरी, 2007 को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उल्फा और उसके विभिन्न गुटों, विंगों तथा प्रमुख संगठनों को (30) दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया गया कि क्यों न उन्हें विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए। यह निदेश दिया गया कि उक्त संगठनों को नोटिसों की तामीली उसके प्रधान कार्यालय पर अथवा उसके किसी स्पष्ट भाग पर नोटिस की प्रति चिपकाकर की जाए। इसके अतिरिक्त, नोटिसों की तामीली दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों (एक हिन्दी और एक अंग्रेजी में) में प्रकाशन के द्वारा करने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण के द्वारा और ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त संगठन/संगम के क्रियाकलाप सामान्य रूप से चलाए जाते हैं, में ढोल बजाकर अथवा लाउडस्पीकरों के द्वारा मुनादी करके इन नोटिसों की तामीली करने का निदेश दिया गया।

5. भारत सरकार में निदेशक श्री ए.के. गोयल तथा श्री एस.के. रॉय, संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनैतिक विभाग सचिवालय दिसपुर, गुवाहाटी, असम सरकार के क्रमशः 19 फरवरी, 2007 तथा 23 फरवरी, 2007 के तामीली संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

6. श्री ए. के. गोयल के तामीली संबंधी शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त नोटिस, उसकी तामीली करने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव, असम सरकार को भेजा गया था तथा असम सरकार ने इसे चार स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् 22 जनवरी, 2007 के इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी); 21 जनवरी, 2007 के दैनिक जागरण (हिन्दी); 19 जनवरी, 2007 के अमर असम (स्थानीय भाषा में) तथा 19 जनवरी, 2007 के असम ट्रिब्यून (अंग्रेजी) में प्रकाशित किया। इन समाचार पत्रों की कतरनों की प्रतियां शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की गई हैं। यह भी बताया गया है कि इस नोटिस का दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी से प्रसारण किया गया और इसे आकाशवाणी के गुवाहाटी केन्द्र से दिनांक 1 फरवरी, 2007 को क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया गया था और उल्फा पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने का समाचार 23 जनवरी, 2007 को सायं 7-00 बजे दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी के माध्यम से असमी बुलेटिन में प्रसारित किया गया था। इस संबंध में उक्त एजेंसियों से प्राप्त पत्रों की प्रतियों को दखिल किया गया। इसके अतिरिक्त इस नोटिस को असम राज्य के सभी तेईस (23) जिलों में स्पष्ट स्थानों पर सार्वजनिक रूप से चिपकाया भी गया। इस संबंध में संबंधित जिलों के पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की प्रतियों को भी दाखिल किया गया।

7. श्री एस.के. रॉय, संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनीतिक विभाग सचिवालय, दिसपुर, असम सरकार, गुहावटी के सेवा शपथपत्र में यह भी बताया गया है कि यह नोटिस चार स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात दिनांक 22 जनवरी, 2007 को इंडियन एक्स्प्रेस (अंग्रेजी); दिनांक 21 जनवरी, 2007 को दैनिक जागरण (हिन्दी), दिनांक 19 जनवरी, 2007 को (देशी भाषा के) अमर असोम तथा 19 जनवरी, 2007 को असम ट्रिब्यून (अंग्रेजी) में प्रकाशित किया गया था। शपथपत्र के साथ अखबारों की कतरनों को दाखिल किया गया है। इस नोटिस को 1 फरवरी, 2007 को आकाशवाणी गुहावटी के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में रात्रि 9.25 बजे तथा दूरदर्शन केन्द्र, गुहावटी से 23 जनवरी, 2007 को सायं 7.00 बजे के असमी समाचार बुलेटिन में भी प्रसारित किया गया। इस संबंध में उक्त एजेंसियों से प्राप्त पत्रों की सत्यापित प्रतियों को दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नोटिस की तामीली स्पष्ट स्थानों/हाटों/बाजारों में नगाड़ा बजाकर/लाउडस्पीकरों द्वारा घोषणा करके, जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालयों तथा थानों में नोटिस चिपकाकर भी की गई तथा इसे असम जिले में स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उल्फा के जाने-पहचाने कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को दिया गया। संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों को दाखिल किया गया है।

8. इस नोटिस को संगठन के पदधारियों या उनके संबंधित अधिकारियों को सीधे तामील नहीं किया जा सका क्योंकि इन अधिकारियों या पदधारियों का पता ज्ञात नहीं था।

9. इस प्रकार इन नोटिसों की 3 जनवरी, 2007 के आदेश में दी गई शर्तों के अनुरूप विधिवत तामीली की गई।

10. इन नोटिसों की तामीली के बावजूद दिए गए समय अर्थात् नोटिस तामील होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर या उक्त अवधि के पश्चात् भी उल्फा की ओर से कोई आपत्ति/उत्तर/लिखित बयान दायर नहीं किया गया है। इसके अलावा उल्फा की ओर से व्यक्तिगत रूप से अथवा वकील के माध्यम से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तथापि, श्रीमती मोमी गोगोई से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि वह उपस्थित होने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसका उपचार चल रहा है और डाक्टरों ने उसे 16 जनवरी, 2007 से दो महीने तक के लिए पूर्णतया आराम करने का सुझाव दिया है। अतः अगली सुनवाई 20 मार्च, 2007 को निर्धारित की गई परन्तु उक्त श्रीमती गोगोई, तारीख की सूचना व्यक्तिगत रूप से

दिए जाने के बावजूद भी, उपस्थित नहीं हुई और न ही उनसे आगे कोई पत्र आदि प्राप्त हुआ । श्री फुलेन मोरेन से दिनांक 26 फरवरी, 2007 को प्राप्त पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उनका पुत्र श्री दिगन्त मोरेन उर्फ सुनु रांगपी उर्फ मून हजारिका पिछले दस (10) वर्षों से लापता है परन्तु उसे उसका कोई पता ठिकाना ज्ञात नहीं है या वह यह भी नहीं जानता कि वह किसके लिए काम कर रहा है अथवा उसके काम के बारे में भी उसे कुछ पता नहीं है और उसका अपने पुत्र से कोई संबंध नहीं है। यह भी उल्लेख किया गया था कि उसका (श्री फुलेन मोरेन) उल्फा से कोई संबंध नहीं है और वह पेशे से एक किसान है और उसका अपराध का कोई विगत (पिछला) रिकार्ड भी नहीं है ।

11. केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व श्री पी. पी. मल्होत्रा, अपर महान्यायवादी, श्री शैलेन्द्र शर्मा और सुश्री मोनिका गर्ग, अधिवक्ता द्वारा तथा असम सरकार का प्रतिनिधित्व सुश्री कृष्णा शर्मा, श्री रिकु शर्मा और सुश्री मीनाक्षी शर्मा, अधिवक्ता द्वारा किया गया था ।

12. अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सरकार की राय है कि उल्फा :

(i) असम को आजाद कराने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विभिन्न ऐसी विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में लिप्त है जो भारत की संप्रभुत्ता एवं भूभागीय अखण्डता विघटित करती है।

(ii) असम को भारत से पृथक करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ स्वयं को मिला लिया है।

(iii) अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उल्फा, विधिविरुद्ध संगम घोषित होने की अवधि के दौरान, अनेक विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा है।

13. केन्द्रीय सरकार का यह भी विचार था कि उल्फा अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में निम्नलिखित सहित विभिन्न विधि विरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहा है :

(i) उल्फा 1 जनवरी, 2004 से 31 जुलाई, 2006 तक की अवधि के दौरान 437 हिंसक घटनाएं करने के लिए उत्तरदायी है;

(ii) उल्फा 1 जनवरी, 2004 से 31 जुलाई, 2006 की अवधि के दौरान 26 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 148 व्यक्तियों की हत्याएं करने के लिए उत्तरदायी है;

(iii) भारी मात्रा में धन वसूली के तथा पृथकतावादी क्रियाकलापों में संलिप्त होना, फिरौती के लिए अपहरण करना और निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डालना;

(iv) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए अपने संवर्ग में नए लोगों को भर्ती करने के लिए चुपचाप परन्तु व्यवस्थित अभियान चलाकर निचले स्तर पर संगठनात्मक नेटवर्क को पुनर्गठित करना तथा जिला, आंचलिक और शाखा समितियों का सुधार करने के कार्यक्रम पर अमल करना;

(v) संगठन के प्रचार शाखा को सक्रिय करना जिसके द्वारा छिपे तौर पर ऐसी पत्रिकाएं एवं परचे छापे गए हैं जिनमें संगठन के लक्ष्यों एवं केन्द्रीय सरकार के कथित शोषण को प्रमुखता दी गई है और तथाकथित आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए जनता की भावनाओं का शोषण किया गया है और इस प्रकार उनकी वफादारी को समाप्त करने की चेष्टा की गई है;

(vi) अपने सदस्यों को पुलिस के मुखबिरों तथा सरकार का सहयोग करने वालों की सूची तैयार करने और उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्हें निशाना बनाने के अनुदेश देना;

(vii) उल्फा के सैन्य विंग को आम जनता के साथ घुलमिल जाने तथा उन्हें सौंपे गए कार्य करने के लिए अनुदेश देना;

(viii) पड़ोसी देशों में अनेक प्रशिक्षण शिविर तथा आश्रय स्थलों की स्थापना करना।

14. अतः, केन्द्रीय सरकार का यह भी मत है कि पूर्वोक्त कारणों से उल्फा की गतिविधियां भारत संघ की संप्रभुता और अखंडता के लिए अहितकर हैं और यदि उल्फा की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध एवं नियंत्रण नहीं किया गया तो यह निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ हो जाएगा :

(i) अपने काडरों को अपनी पृथकतावादी विध्वसंक तथा हिंसक गतिविधियां बढ़ाने के लिए संचालित करना।

(ii) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के विरोधी बलों के साथ दुरभिसंधि करके राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का खुलेआम प्रचार करना।

(iii) सिविलियन्स की अधिकाधिक हत्या करने तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त होना।

(iv) सीमा पार से और अधिक अवैध शस्त्र एवं गोला बारूद प्राप्त करना तथा उन्हें लाना।

(v) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए आम जनता से भारी मात्रा में निधियां तथा अवैध धन संग्रहित करना एवं बलपूर्वक छीनना।

15. न्यायाधिकरण ने, इस मामले में शीघ्रता करने के लिए यह उचित समझा कि साक्ष्य को हलफनामों द्वारा प्राप्त किया जाए। असम राज्य की ओर से 23 गवाहों के साक्ष्य के हलफनामे तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से साक्ष्य को एक ठोस हलफनामा दाखिल किया गया।

16. स्थानीय भाषा वाले तथा राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में आम जनता को यह नोटिस देते हुए कि गवाहों के साक्ष्य निम्नलिखित तरीखों को रिकार्ड किए जाएंगे व्यापक प्रकाशन के बाद न्यायाधिकरण की बैठकें दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर, शेर शाह रोड, नई दिल्ली में 9 मई, 2007 से 11 मई, 2007 तक आयोजित की गई। संगत रिकार्डों सहित गवाह जिरह के लिए उपलब्ध थे। पी डब्ल्यू-1 से पी डब्ल्यू-10 तक के बयान 9 मई, 2007 को तथा पी डब्ल्यू-11 से पी डब्ल्यू-24 तक के बयान 10 मई, 2007 को रिकार्ड किए गए। केन्द्रीय सरकार तथा असम राज्य ने अपने साक्ष्य बंद कर दिए। साक्ष्यों की रिकार्डिंग के लिए निर्धारित तारीखों को उल्फा की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसके अलावा, अवसर दिए जाने के बावजूद कोई भी शपथ-पत्र/साक्ष्य देने के लिए जनता या उल्फा की ओर से कोई व्यक्ति पेश नहीं हुआ। तदुपरान्त, 17 मई, 2007 को बहस के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया था, उस तारीख को भारत संघ और असम राज्य के साझे दस्तावेज दायर किए गए और तर्कों को सुना गया। पुनः उल्फा की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

17. जो गवाह असम राज्य की ओर से पेश हुए उनमें पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स, पूरे राज्य में आतंकी गतिविधियों की मॉनीटरिंग के प्रभारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, असम राज्य में विभिन्न जिलों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी अधिकारी और श्री एस. के. राय, संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनीतिक विभाग सचिवालय, दिसपुर, असम सरकार, गुहावटी शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, भारत संघ की ओर से श्री आर. आर. झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय का एक शपथ पत्र भी दायर किया गया है।

18. गवाहों द्वारा यह बताया गया है कि उल्फा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों की सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए भारत की शान्ति, संप्रभुता एवं अखण्डता को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है। अधिकांश गवाहों ने असम राज्य एवं अन्य स्थानों पर अलगाववादी गतिविधियों में उल्फा की सक्रिय संलिप्तता के बारे में बताने के लिए विशिष्ट विधिविरुद्ध हिंसक मामलों एवं घटनाओं का उल्लेख किया है। गवाहों ने उल्फा के संविधान के अनुसार इसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों तथा इसके द्वारा की जाने वाली हिंसा के तरीके एवं दर्ज किए गए विभिन्न मामलों के तथ्यों के बारे में भी बताया है। असम राज्य की ओर से गवाहों ने यह भी बयान दिया है कि उल्फा पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बावजूद यह संगठन विभिन्न विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त रहा है ताकि भारत की शांति, प्रभुसत्ता एवं अखण्डता को विघटित किया जा सके तथा लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। विभिन्न शपथ पत्रों से यह पता चलता है कि 27 नवम्बर, 2004 से 26 नवम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान उल्फा कार्यकर्ता हत्या, अपहरण एवं जबरन धन-वसूली आदि सहित 441 घटनाओं में शामिल रहे हैं। शपथ पत्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसी अवधि के दौरान उल्फा उग्रवादियों ने एक विशिष्ट समय सीमा के अन्दर राज्य में 130 बम-विस्फोट किए/हथगोले फैंके जिससे 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 323 व्यक्ति घायल हो गए। इसके अतिरिक्त वे अन्य विध्वंसकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे।

19. इन शपथ पत्रों से यह भी पता चलता है कि उल्फा विभिन्न अवैध एवं हिंसक गतिविधियों में अधिकारिक रूप से संलिप्त रहा है, असम में तथा बंगलादेश और म्यांमार जैसे पड़ौसी देशों में अनेक प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए हैं। यह उल्लेख किया गया है कि उल्फा के शीर्ष नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए बंगलादेश में शरण ले रहे हैं। यह भी बताया गया है कि आरबीए के अभियान के बाद कुछ काडर भूटान में शरण ले रहे हैं तथा आसूचना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि उल्फा काडरों को उनके स्वयं के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किए जाने के अतिरिक्त उन्हें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शपथ पत्रों से पता चलता है कि उल्फा ने असम को भारत से पृथक करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध संगठनों नामतः कामतापुर लिब्रेशन आर्गेनाइजेशन (के.एल.ओ.), मणिपुर पीपल्ज़ लिब्रेशन फ्रंट (एमपीएलएफ), त्रिपुरा पीपल्ज डेमोक्रेटिक फ्रंट (टीपीडीएफ) से प्रचालनात्मक समझौता बरकरार रखा हुआ है। उल्फा ने चीन तथा अन्य देशों से ऐसे नवीन, परिष्कृत उन्नत, हल्के हथियार जिनकी मारक क्षमता काफी अधिक है, भी प्राप्त कर लिए हैं। शपथपत्रों से यह भी पता चलता है कि उल्फा कार्यकर्ता फिरौती के लिए अपहरण करने जैसे कार्यों के अलावा सरकारी कर्मचारियों, व्यवसायियों, चाय बगान अधिकारियों इत्यादि से भारी मात्रा में धन की जबरन वसूली करने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त वे फिरौती के लिए अपहरण भी करते हैं। उल्फा का प्रचार विंग खुले तौर पर अपनी अलगाववादी विचारधारा का प्रचार कर रहा है।

20. गवाहों ने विभिन्न प्राथमिकियां, गवाहों के बयान, जब्ती सूचियां, मांग/फिरौती पत्रों की प्रतियां तथा अभियुक्तों के बयान मुहैया करवाए। गवाहों ने संगठन की गतिविधियों संबंधी पत्रों की प्रतियों को भी मुहैया करवाया।

21(क) गवाहों के शपथपत्रों तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि उल्फा हत्या, अपहरण, जबरन धन वसूली, पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों पर हमले इत्यादि सहित विभिन्न विधिविरुद्ध गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं तथा उसमें सक्रिय रूप से शामिल है जिससे भारत की शांति, प्रभुसत्ता एवं अखंडता भंग होती है। भारत संघ एवं असम सरकार की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अधिकरण के समक्ष अखण्डनीय रहे चूंकि उल्फा की ओर से अधिकरण के समक्ष कोई साक्ष्य/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किए गए।

22. उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्य के मद्देनजर मेरा यह मानना है कि भारत संघ द्वारा उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगठन घोषित किया जाना पूर्णतः तर्कसंगत था तथा उल्फा को अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में शामिल होने

से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि दिनांक 27 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 2034(अ), द्वारा उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण उपलब्ध हैं। तदनुसार, उक्त अधिसूचना में भारत संघ द्वारा की गई घोषणा की संपुष्टि की जाती है यह घोषित एवं निर्णय किया जाता है कि भारत संघ के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थीं, जिसके कारण वह उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करें।

मई 22, 2007

(संजय किशन कौल)

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) अधिकरण

[सं. 11011/47/2006-एन.ई. III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2007

S.O. 835(E).— In terms of Section 4(4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Sanjay Kishan Kaul, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the associations, namely the United Liberation Front of Asom (ULFA) organization of Assam as unlawful is published for general information:

BEFORE THE HON'BLE MR. JUSTICE, SANJAY KISHAN KAUL, PRESIDING OFFICER, UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL DELHI HIGH COURT BUILDING NEW DELHI.

IN RE:

UNITED LIBERATION FRONT OF ASOM (ULFA) - An organization declared unlawful under Section 3(1) of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967

NOTIFICATION NO.S.O. 2034 (E) DATED 27th November, 2006.

Present: Mr. P.P. Malhotra, Additional Solicitor General with Mr. Shailendra Sharma & Ms. Monika Garg, Advocates for the Union of India.

Ms. Krishna Sarma with Mr. Riku Sarma &

Ms. Minakshi Sarma, Advocates for the State of Assam.

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE SANJAY KISHAN KAUL

ORDER

22nd May, 2007

1. The Central Government *vide* Notification No. S.O. 2034 (E) dated 27th November 2006 in pursuance of its powers conferred by the Proviso to sub-section (3) of Section 3, of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as the 'said Act') has declared United Liberation Front of Asom (hereinafter referred to as 'ULFA') along with all its factions, wings and front organizations as unlawful associations for further period of two years from 27th November 2006 to 26th November 2008. The Central Government being of the firm opinion that it was necessary to extend the ban on ULFA along with all its factions, wings and front organizations as unlawful associations for a further period of two years, directed that the Notification, subject to any order that may be made by the Tribunal, shall have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Notification states that the ULFA and the various wings thereof has as its professed aim, the *"Liberation"* of Assam from the Indian Union through an armed struggle in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region as well as to struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like minded organisations of that region and thereby, the secession of Assam from the Union of India.

3. Consequent upon the Notification referred to above, reference was made under Section 4(1) of the said Act to this Tribunal constituted vide a Gazette Notification No. S.O. 2119(E) dated 19th December 2006 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for extending the ban, declaring ULFA as an unlawful organisation.

2568 GI/07- 2

4. On 3rd January 2007, notices were directed to be issued to the ULFA along with all its factions, wings and front organisations under sub-section (2) of Section 4 of the said Act to show cause within thirty (30) days why they should not be declared as unlawful. It was directed that notices be served upon the said organisations at their principal office(s) or by affixing a copy of the notice at some conspicuous part thereof. In addition notices were directed to be served by publication in two national newspapers (one in Hindi & one in English). Besides, the aforesaid notices were also directed to be issued by broadcasting on All India Radio (AIR) & telecast on Doordarshan and by proclaiming by the beat of drum or by means of loudspeakers in the areas where the activities of the aforesaid organizations/associations are ordinarily carried on.

5. Affidavits of service of Shri A.K. Goyal, Director to the Government of India dated 19th February, 2007 and Shri S.K. Roy, Joint Secretary, Home & Political Department Secretariat Dispur, Guwahati, Government of Assam dated 23rd February, 2007 have been filed.

6. The Affidavit of service of Shri A.K Goyal states that the said notice was forwarded by the Central Government to the Chief Secretary, Government of Assam for taking action to serve the same and the Government of Assam published it in four local newspapers, *viz.* Indian Express (English) dated 22nd January, 2007; Dainik Jagran (Hindi) dated 21st January 2007; Amar Asom (Vernacular) dated 19th January, 2007 and the Assam Tribune (English) dated 19th January, 2007. Copies of the newspaper clippings have been filed with the Affidavit. The notice is also stated to have been telecast and broadcast from Doordarshan Kendra, Guwahati and the regional news bulletin through Guwahati Station of AIR on 1st February, 2007 and the extension of ban on ULFA was telecast on the Assamese bulletin at 7:00 p.m. on 23rd January, 2007 through Doordarshan Kendra, Guwahati. Copies of letters received to this effect from the said agencies have been filed. Further, the notice was also affixed at conspicuous places publicly and prominently in all twenty-three (23) districts of the State of Assam. Copies of letters received to this effect from police authorities of concerned districts have been filed.

7. The affidavit of service of Shri S.K. Roy, Joint Secretary, Home & Political Department Secretariat Dispur, Government of Assam, Guwahati also states that the said notice was published in four local newspapers, *viz.* Indian Express (English) dated 22nd January, 2007; Dainik Jagran (Hindi) dated 21st January, 2007; Amar Asom (Vernacular) dated 19th January, 2007 and the Assam Tribune (English) dated 19th January, 2007. Copies of the newspaper clippings have been filed with the Affidavit. The notice is also stated to have been telecast on regional news bulletin of AIR Guwahati at 9:25 p.m. on 1st February, 2007 and also broadcast in the Assamese news bulletin at 7:00 p.m. on 23rd January, 2007 of Doordarshan Kendra, Guwahati. True copies of letters received to this effect from the said agencies have been filed. Further, the notice was served by way of beating of drums/announcements through loudspeakers in conspicuous places/ haats/bazaars pasting of notice at the offices of District Magistrates/Tehsildars and the police stations, service on the family members of known ULFA activists in presence of independent witnesses in the district of Assam. Communications received from the concerned authorities have been filed.

8. Notices could not be directly served upon the office bearers of the organisations or their respective officers since the location of such officers or office bearers was not known.

9. Thus, notices have been duly served in terms of the order dated 3rd January, 2007.

10. In spite of the service of the notices, no objection/reply/written statement has been filed on behalf of the ULFA within the stipulated period of thirty (30) days from the date of service or even after the said period. Also there is no appearance on behalf of the ULFA either in person or through counsel. However, a letter has been received from Shrimati Momi Gogoi, who has stated that she is unable to appear as she is undergoing medical treatment and the doctors have advised her complete bed rest for a period of two months from 16th January, 2007. The next sitting was, thus, fixed on 20th March, 2007 but the said Mrs. Gogoi did not appear despite personal intimation of the date nor was there any further communication received from her. A letter received on 26th February, 2007 from Shri Phulen Moran states that his son Shri Diganta Moran @ Sunu Rangpi @ Moon Hazarika is missing since the last ten (10) years but he does not know his whereabouts or about what is his business and he has no connection with him. It was also stated that he (Shri Phulen Moran) has no connection with ULFA and he is an agriculturist by profession and there is no pass (past) record of his involvement with crimes.

11. The Central Government was represented through Mr. P.P. Malhotra, Additional Solicitor General, Mr. Shailendra Sharma & Ms. Monika Garg, Advocates and the State of Assam through Ms. Krishna Sarma, Mr. Riku Sarma & Ms. Minakshi Sarma, Advocates.

12. It has been stated in the notification that the Central Government is of the opinion that the ULFA has:

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

(ii) aligned itself with some other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association.

13. The Central Government was also of the opinion that the ULFA in pursuance of its aims & objectives has indulged in various unlawful and violent activities including:

(i) 437 violent incidents, which are attributed to ULFA during the period from 1st January, 2004 to 31st July, 2006;

(ii) killing of 148 persons including 26 members of security forces which are attributed to ULFA during in period 1st January, 2004 to 3rd July, 2006;

(iii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering live of innocent Citizens, in addition to its acts of kidnapping for ransom;

(iv) embarking on a programme of restructuring its organizational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district anchalik and sakha committees, while continuing its violent and insurgent activities;

(v) making publicity wing of the organization active, which has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;

(vi) instructing its cadres to compile the list of police informers and government collaborators and to identify targets for retaliatory action against them;

(vii) instructing the army wing of ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;

(viii) establishing sanctuaries and a number of training camps in neighboring countries;

14. The Central Government is also of the opinion that the activities of ULFA are detrimental to the sovereignty and integrity of the Union of India for the aforementioned reasons and, if these unlawful activities of ULFA are not immediately curbed and controlled it may take the opportunity to:

(i) mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities;

(ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killing of civilians and targeting of police and security force personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;

(v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

15. The Tribunal thought it fit to receive evidence by way of affidavits so as to expedite the matter. The affidavits of evidence of 23 witnesses on behalf of the State of Assam and a substantial affidavit of evidence on behalf of the Central Government were filed.

16. Sittings of the Tribunal were held from 9th May 2007 to 11th May, 2007 at the Delhi High Court premises, Sher Shah Road, New Delhi after wide publication in vernacular and national newspapers giving notice to the general public that evidence of witnesses would be recorded on the said dates. The witnesses were available for cross-examination with the relevant records. The statements of PW-1 to PW-10 were recorded on 9th May, 2007 and of PW-11 to PW-24 on 10th May, 2007. The Central Government and State of Assam closed their evidence. On the dates fixed for recording evidence there was no representation from the ULFA. Also, despite opportunity given no one from the public or ULFA appeared to tender any affidavit/evidence. Thereafter the case was listed for arguments on 17th May, 2007, on which date common written submissions of the Union of India and State of Assam were filed and arguments heard. Again there was no representation on behalf of ULFA.

17. The witnesses who have deposed on behalf of the State of Assam include Superintendent of Police, Special Operations unit in-charge of monitoring the terrorist activities in the entire State, Superintendents of Police, in-charge of the maintenance of law and order in various districts of the State of Assam and Shri S.K. Roy, Joint Secretary, Home & Political Department Secretariat Dispur, Government of Assam, Guwahati. Besides the Affidavit of Shri R.R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs has been filed on behalf of the Union of India.

18. It has been deposed by the witnesses that ULFA has been actively pursuing and indulging in unlawful activities with a view to disrupt peace, sovereignty and integrity of India through an armed struggle in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region. Most of the witnesses have also cited specific unlawful and violent cases/incidents to illustrate the active involvement of ULFA in secessionist activities in the State of Assam and elsewhere. The witnesses have deposed to the aims and objects of ULFA as per its Constitution, as also to the nature and manner of violence indulged by it and the facts of various cases registered. The witnesses on behalf of the State of Assam

have also deposed that despite successive bans which are being imposed on ULFA, the outfit has been indulging in various unlawful and violent activities with a view to disrupt peace, sovereignty and integrity of India and to create a deep sense of insecurity among the people. The various affidavits show that during the period from 27th November, 2004 to 26th November, 2006, the ULFA activists have indulged in 441 incidents including killings, kidnappings, extortion, etc. It has been further deposed in the affidavits that during the same period, ULFA militants in a specific time frame triggered off 130 bomb/grenades blasts in the State taking a total number of 30 lives and causing injuries to 323 persons besides other subversive activities.

19. The affidavits also show that ULFA has been incessantly indulging in various illegal and violent activities, establishing a number of training camps within Assam and in the neighboring countries of in Bangladesh and Myanmar. It has been deposed that top ULFA leaders are taking shelter in Bangladesh to evade arrest. It has further been deposed that after the RBA's operation, some cadres are taking shelter in Bhutan and intelligence Reports reveal that ULFA cadres are being imparted training by the Pakistani Intelligence Agency, Inter Services Intelligence (ISI) in addition to being trained by their own experts. The affidavits show that ULFA is also maintaining operational understanding with other unlawful associations of North Eastern Region namely, Kamatapur Liberation Organisation (KLO), Manipur People's Liberation Front (MPLF), Tripura People's Democratic Front (TPDF) to secede Assam from India. The ULFA has acquired latest sophisticated upgraded light weaponry with enhanced striking capability from China and other foreign countries. The affidavits also show that ULFA activists have been extorting huge amounts of money from Government officials, businessmen, tea-garden executives etc. in addition to its acts of kidnapping for ransom. The publicity wing of ULFA openly publicizes its secessionist ideology.

20. The witnesses have proved various FIRs, statements of witnesses, seizure lists, copies of demand/extortion letters and statements of accused persons. The witnesses have also proved copies of letters on organizational activities.

21. A careful analysis of the affidavits of witnesses as also the material placed on record shows that the ULFA has been actively pursuing and indulging in various unlawful activities including killings, kidnappings, extortion, attacks on police/security personnel, etc. thereby disrupting peace, sovereignty and integrity of India. The evidence led by the Union of India and Government of Assam has remained unrebutted before the Tribunal as there was no evidence/representation on behalf of the ULFA.

22. In view of the facts and evidence discussed aforesaid, I am of the view that the Union of India was fully justified in declaring ULFA as an unlawful organization with immediate effect and the same was necessary to prevent unlawful and violent activities indulged by ULFA in furtherance of its aims and objectives. I am satisfied that there is sufficient cause for declaration of ULFA as an unlawful organisation by Notification No. S.O. 2034 (E) dated 27th November, 2006. Accordingly, the declaration made by the Union of India in the said Notification is confirmed. It is declared and held that circumstances existed for the Union of India to invoke its powers under the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the said Act for the Notification to be made applicable with immediate effect.

May 22, 2007

SANJAY KISHAN KAUL
UNLAWFUL ACTIVITIES
(PREVENTION) TRIBUNAL
[No. 11011/47/2006-NE. III]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.